



राज्य, नं. उत्तराखण्ड/प्र.नं. पत्र, 899

साक्षरता नं. 899/पी-41

साक्षरता नं. पीठक एवं कर्मचारीय संघ

2

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 29 मई, 1999

ज्येष्ठ 8, 1921 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1

संख्या 882/64-1-99-33-97

लखनऊ, 28 मई, 1999

अधिसूचना

प0अ10--215

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) को धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की धनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

1-उपर्युक्त अधिनियम की धनुसूची-एक में,—

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रविष्टियों के त्याग पर प्रत्येक के सामने स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

स्तम्भ-1

32-बदरई, शंकी

46-नद्दाक (धुनिया), मन्सूरी, कड्डेरे, कड्डेरे

स्तम्भ-2

32-बदरई, शंकी, बिरबकमर्मा, पांचाल, रमगाड़िया, जांगिड, घीमान ।

46-नद्दाक (धुनिया), मन्सूरी, कड्डेरे, कड्डेरे, करण (कर्म) ।



(ख) प्रविष्टि-70 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जाएँगी, अर्थात् :—

71—माहीगौर

72—दांगी

73—दाकड़

प्राज्ञा से,  
आर० बी० भास्कर,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 882/LXIV-1-99-33-97, dated May 28, 1999:

No. 882/LXIV-1-99-33-97

Dated Lucknow, May 28, 1999

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule 1 to the aforesaid Act:—

AMENDMENT

1. In Schedule 1 to the aforesaid Act,—

(a) for the entries set out in column-1 below, the entries as set out against each in column-2 shall be substituted, namely:—

COLUMN-1

32. Barhai, Saifi

46. Naddaf (Dhuniya), Mansoori,  
Kandere, Kadore

COLUMN-2

32. Barhai, Saifi, Vishwakarma, Panchal, Ramgadhiya, Jangir, Dhiman.

45. Naddaf (Dhuniya), Mansoori, Kandere, Kadore, Karan (Karan).

(b) after entry 70, the following entries shall be inserted, namely:—

71. Mahegeer

72. Dangl

73. Dbakar

By order,  
R. B. BHASKAR,  
Prमुख Sachiv.



(16)

**उत्तर प्रदेश सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1**

संख्या 882 (1)/64-1-99-33-97  
लखनऊ, दिनांक 29 मई, 1999

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रारक्षण) अधिनियम, 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 882/64-1-99-33-97, दिनांक 28 मई, 1999 की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 3—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
- 4—प्रमुख सचिव, महानगरीय और राज्यपाल, उ० प्र० ।
- 5—राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ० प्र० ।
- 6—प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबंधक ।
- 7—निबंधक, उ० प्र० सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 8—समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उ० प्र० ।
- 9—समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान, उ० प्र० ।
- 10—निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 11—निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बैसिक शिक्षा/श्रीष्ठ शिक्षा, उ० प्र० ।
- 12—समस्त अध्यक्ष जिला परिषद्/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उ० प्र० ।
- 13—निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- 14—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 15—सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 16—सचिव, विद्यान समा/विद्यान परिषद्, उ० प्र० ।
- 17—सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 18—निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक प्रकाशनों, नैनीताल ।
- 19—प्रमुख सचिव, मा० मू० मंत्रो, उ० प्र० शासन ।
- 20—समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रो, उ० प्र० शासन ।
- 21—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 22—संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखनसामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि

कृपया अधिसूचना की प्रसारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) पर नियम आदेश व अधिसूचना में किये गये दिनांक के अनुसार प्रकाशन की तिथि निश्चित करते हुए पृष्ठांकन सहित अधिसूचना की 2000-2000 प्रतियां संलग्न कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,  
हीरामणि सिंह यादव,  
विशेष सचिव ।